# न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 60/2019

| अपीलाण्ट्स | बनाम | रेस्पोन्डेन्ट |
|---|---|---|
| 1. कुम्भाराम पुत्र पदमाराम<br>2. भगवानाराम पुत्र टीकमाराम<br>3. जगराम पुत्र खेताराम निवासी– धोलाडेर, तहसील सिणधरी<br>4. पैलादराम पुत्र धर्माराम<br>5. दीपाराम<br>6. हेमाराम<br>7. दुर्गाराम पुत्रान रूपाराम<br>8. कसुम्बी देवी पत्नि रूपाराम<br>9. अमराराम<br>10. थानाराम पुत्रान मगाराम<br>11. माडूदेवी पत्नी मगाराम जाट निवासी– जूना खारटिया तहसील सिणधरी<br>12. जैरामराम पुत्र टीकमाराम<br>13. केसाराम पुत्र टीकमाराम<br>14. कंवराराम पुत्र कुंभाराम<br>15. जवारो पत्नि जेठाराम<br>16. मगाराम पुत्र जेठाराम निवासी– धोलाडेर, तहसील सिणधरी | | 1. चैनाराम पुत्र पदमाराम निवासी– जूना खारटिया तहसील सिणधरी<br>2. राज0 सरकार तहसीलदार सिणधरी<br>3. टीकूराम पुत्र पदमाराम<br>4. करनाराम<br>5. सताराम पुत्रान रतनाराम<br>6. जूंझाराम पुत्र विरधाराम<br>7. खेलाराम<br>8. तुलछाराम<br>9. रामाराम पुत्रान देवाराम<br>10.राणाराम<br>11.पन्नाराम पुत्रान खेराजराम<br>12.पूनमाराम पुत्र टीकमाराम<br>13.राउराम पुत्र पेमाराम जाट निवासी– धोलाडेर, तहसील सिणधरी<br>14.चौलाराम पुत्र पेमाराम<br>15.मीरोदेवी पत्नी पेमाराम निवासी– खारटीया नया, तहसील सिणधरी<br>16.भीमाराम पुत्र केसाराम<br>17.नगाराम<br>18.जेरामाराम<br>19.भंवराराम<br>20.लिछमणराम पुत्रान चैनाराम<br>21.सताराम पुत्र जेठाराम<br>22.हनुमानराम गोदपुत्र पूराराम<br>23.अचलाराम पुत्र लिखमाराम<br>24.जोगाराम<br>25.जगाराम पुत्रान रिडमलराम<br>26.मुकनाराम पुत्र देराजराम<br>27.प्रहलादराम पुत्र खेताराम<br>28.मोटाराम पुत्र खेताराम<br>29.बालीदेवी पत्नी खेताराम जाट निवासी– धोलाडेर, तहसील सिणधरी<br>30.जूझाराम पुत्र रूपाराम निवासीगण– धोलाडेर, तहसील सिणधरी<br>31.व्यवस्थापक, एसबीबीजे शाखा बायतू<br>32.व्यवस्थापक आरएजीबी, शाखा चवा जिला बाडमेर। |

**राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 20.02.2019 जो प्रकरण संख्या 317/2018 अनवान राज0 सरकार बनाम चेनाराम वगैराह में उपखण्ड अधिकारी सिणधरी के द्वारा पारित किया गया ।**

उपस्थितिः–

1– श्री मोहनलाल खत्री, अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से ।
2– रेस्पो0 संख्या 1, 3 ता 32 बावजूद नोटिस तामीली/सूचना के अनुपस्थित
3– श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से ।

## निर्णय

दिनांक 4–08–2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी के समक्ष धारा 130,131 व 136 राज0 भू

राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि ग्राम धोलाडेर की सरहद में ख0सं0 18, 121/18, 19,24, 124/24, 26, 32,34, 36, 37, 47, 49 में संलग्न सूची एवं नजरी नक्शा अनुसार ऐसे चालू स्थायी रास्ते जो मौके पर पाये गये, परन्तु उनका राजस्व रेकर्ड यथा जमाबन्दी व नक्शे में अंकन नहीं है, का राजस्व रेकर्ड में अंकन किया जाना है। जिनका सम्बन्धित निजी खातेदारों की खातेदारी में रखते हुए रास्ता/सडक राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जावें। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को नोटिस जारी किये बिना ही तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना ही सीधे ही राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिनांक 20.2.2019 को पारित किया है जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 130, 131 व 136 के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए राज्य सरकार के नोटिफिकेशन के आधार पर नियम व शर्तो को दरकिनार करते हुए आदेश पारित कर दिया है। इसके अलावा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील वर्णित भूमि के सम्बन्ध में दावे लम्बित है और उनमें स्थगन आदेश भी जारी किये हुए है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इसी जमीन के रास्ते की तरमीम की गई है। इस प्रकार तहसीलदार ने उक्त स्थगन आदेश को छिपाकर अधिनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है जो निरस्त योग्य है।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 2.11.2018 को प्रकरण दर्ज हुआ और उसी दिन नोटिस जारी कर दिये गये। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के नोटिफिकेशन का गलत अर्थ निकालते हुए तमाम कार्यवाही सम्पादित की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये जाने हेतु नोटिस जारी किये बिना तथा तामीली की प्रक्रिया को विधि अनुरूप पूर्ण करवाये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है और न अपीलान्ट की भूमि में से रास्ता निकाले जाने हेतु अपीलान्टस की मौखिक/लिखित सहमति ली गई।

इसके अतिरिक्त तहसीलदार कार्यालय के तामील कुनिन्दा/सवार द्वारा नोटिसेज पर मात्र चस्पादंगी की गई है। इससे स्पष्ट है कि सवार ने मिलीभगत कर थानाराम व बांकाराम व दीपाराम के हस्ताक्षर जो नोटिस पर करने बताये है वो फर्जी है। जिसके सम्बन्ध में उक्त व्यक्ति शपथ पत्र प्रस्तुत करने को तैयार है। ऐसे में उपरोक्त तामील प्रक्रिया विधि अनुरूप नहीं होने से अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आदेश पारित किया गया है उक्त अपीलाधीन आदेश विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त भूमि पर पहले से कोई कटाण, पगडण्डी या रास्ता मौके पर नहीं चल रहा है, जिससे उक्त खसरान भूमि में से बताये गये रास्ते को राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जा सके। जबकि राज्य सरकार के नोटिफिकेशन अनुसार पूर्व में इस प्रकार के चल रहे बारहमासी इत्यादि रास्तों कटाण/पगडन्डी/ कदीमी/ग्रेवल सडक/ डामर सडक/ ... किया हुआ है।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, वह आवेदन पटवारी हल्का व भू0अ0निरीक्षक द्वारा गलत रिपोर्ट बनाकर तहसीलदार को सुपुर्द किया गया है और तहसीलदार के द्वारा भी उक्त आवेदन बिना जॉच किये ही अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है जिसे नियमों की अवहेलना व विधिक प्रकिया अपनाये बिना की गई कार्यवाही माना जायेगा। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा भी तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत आवेदन को यथाअनुरूप स्वीकार करते हुए वादग्रस्त खसरान भूमि में से उनकी खातेदारी की भूमि का राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज करने के अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलान्टस की अपील को स्वीकार किया जावे एवं अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावें।

रेस्पो0 संख्या 1, 3 ता 33 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे है।

रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वो विधि अनुकूल उचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम धोलाडेर के उपरोक्त खसरान नम्बरान भूमि में चल रहे रास्ते को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, उसे राज्य सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन अनुसार विधिसम्मत बताते हुए अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील को खारीज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी के द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया। मौके पर चल रहे कदीमी रास्ते का रिकार्ड में इन्द्राज हेतु अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा आदेश पारित किया गया जो कि व्यापक जनहित में किया जाना प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.12.2021 के कम में तहसीलदार, सिणधरी सम्बन्धित पक्षकारान को सुनकर प्रकरण का निस्तारण करें। कोई भी पक्ष कदीमी रास्ता बन्द नहीं करें। निर्णय आज दिनांक 4 अगस्त, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर